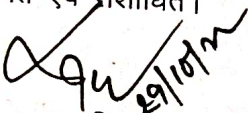


की मांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
29.10.2021	1 जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज। अधिहरण वाद संख्या- 08/2013-14 राज्य सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज -बनाम- शिव कुमारी देवी वगै० -: आदेश :- प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 844/आ०, दिनांक 13.11.2013 से साहेबगंज (मु०) थाना कांड संख्या 146/2013 दिनांक 23.06.2013 07 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जप्त कुल 154 (एक सौ चौवन) बोरा में लगभग 77.16 क्वी० टल चावल को राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:- हरिवंश राम, पिता-श्री रामजनम राम, ग्राम-शिवपुर, थाना-कांडी, जिला-गढ़वा, प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, साहेबगंज के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर साहेबगंज (मु०) थाना कांड संख्या 146/2013 दिनांक 23.06.2013 दर्ज किया गया। उनके द्वारा बताया गया है कि 21.06.2013 को अपराहन 01:00 बजे संगीता स्वयं सहायता समूह, जन वितरण विक्रेता, शोभनपुर भट्टा अनुज्ञप्ति संख्या 06/2009, पंचायत-गंगा प्रसाद पूरब के दुकान का जाँच किया गया। जाँच के क्रम में पाया कि उक्त स्वयं सहायता समूह के द्वारा दिनांक 18.06.2013 एवं 19.06.2013 को अन्त्योदय एवं बी०पी०एल० योजना तथा अतिरिक्त बी०पी०एल० योजना मद का कुल 114.16 क्वी० टल चावल का उठाव किया गया है। किन्तु जाँच करने पर पाया कि उनके दुकान में कुल 77.16 क्वी० मात्र शेष है। बाकी 37.00 क्वी० चावल को शिव कुमारी देवी, राज कुमारी देवी एवं मो० ललिता द्वारा कालाबाजारी कर बेच दिया गया है, जो 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उलंघन है। जप्त 154 बोरा वजन लगभग 77.16 क्वी० चावल को नजदीक के अनुज्ञप्ति संख्या 35/91 श्री पशुपत यादव के जिम्मेनामा पर रखा गया तथा जिम्मानामा संलग्न कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जप्त चावल 77.16 क्वी० को राजसात करने हेतु अनुरोध किया। प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, साहेबगंज को जप्त चावल 77.16 क्वी० को बिक्री कर बिक्री मूल्य जिला आपूर्ति नजारत शाखा, साहेबगंज में जमा करने हेतु निदेश दिया गया एवं विपक्षीगण को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 11/आ०, दिनांक 20.01.2014 के द्वारा जप्त 77.16 क्वी० चावल को बिक्री कर राशि 69,568.00 (उनहत्तर हजार पाँच सौ अड़सठ) रुपये जिला आपूर्ति नजारत में जमा करते हुए नाजीर रसीद जिल्द संख्या 2621 दिनांक 20.01.2014 की छाया प्रति के साथ प्रतिवेदन दाखिल किया गया। विपक्षीगण कारण पृच्छा के साथ उपस्थित। विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपने कारण पृच्छा में बताया गया कि विपक्षीगण दिनांक 18.06.2013 एवं 19.06.2013 को अन्त्योदय, बी०पी०एल० एवं अतिरिक्त बी०पी०एल० योजना कुल 114.16 क्वी० चावल का उठाव किये तथा दिनांक 20.06.2013 को 37.00 क्वी० चावल का वितरण बी०पी०एल० कार्डधारी एवं ए०पी०एल कार्डधारी को किये है, जो धारक के कार्ड एवं	

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर गई कार्यवाही
	रजिस्टर में दर्ज है। बचा हुआ 77.16 क्वी० चावल भंडार में रखा हुआ था, जिसे प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक द्वारा कालाबाजारी का गलत आरोप लगा कर जप्त किया गया है। विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि साहेबगंज (मु०) थाना कांड संख्या 146/2013 दिनांक 23.06.2013 जो प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा असमाजिक तत्वों के झूठे आरोप पर दर्ज कराया गया था। विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदन दाखिल कर बताया गया कि उक्त थाना कांड में प्रतिवादी को माननीय अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी के कार्ट द्वारा दिनांक 31.05.2016 को अपराध मुक्त करने का निर्णय सुनाया गया है। विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा संगीता स्वयं सहायता समूह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, शोभनपुर भट्टा अनुज्ञप्ति संख्या 06/2009 से जप्त 77.16 क्वी० चावल को मुक्त करने का अनुरोध किया गया। अतएव उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि साहेबगंज (मु०) थाना कांड संख्या 146/2013 दिनांक 23.06.2013 में जप्त 77.16 क्वी० चावल स्वयं सहायता समूह, जनवितरण प्रणाली दुकान, अनुज्ञप्ति संख्या 06/2009, शोभनपुर भट्टा द्वारा कालाबाजारी किया जा रहा था, जिसे 07 आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-6(ए) के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि नाजीर रसीद जिल्द संख्या 2621 दिनांक 20.01.2014 से जमा राशि को उचित शीर्ष में जमा करें। अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को आदेश की प्रति भेजें। लेखापित एवं संशोधित।  जिला दण्डाधिकारी —सह— उपायुक्त, साहेबगंज।  जिला दण्डाधिकारी —सह— उपायुक्त, साहेबगंज।	21/06/2016 278/510 की 0 05.8.2012